कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-95 दिनांक: 18-3-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक सातवी दिनांक 15-3-2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 सातवी दिनांक 15-3-2002 प्रातः/सायं 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन...................,जविप्रा,जयपुर।

सदस्य सचिव,
बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

दिनांक 15-3-2002 को सम्पन्न हुई भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक में निम्न प्रकरणों पर भी विचार-विमर्श किया गया था जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है -

---

(1) बुनियादी विकास गृ·नि·स· समिति की योजना चेतक विहार :- सी-3

उपायुक्त, जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1· आगरा रोड़ से योजना को जोडने वाली लिंक रोड के संबंध में जोन स्तर पर मौका देखा जावे कि किस रोड़ को इस योजना से लिंक किया जा सकता है ।

2· योजना से गुजरने वाली मुख्य सड़क को 40 फिट चौड़ी रखवायी जावे ।

3· गृह निर्माण सह· समिति के पदाधिकारी से संशोधित योजना मानचित्र लिया जावे जिसमे आवासीय क्षेत्रफल 60% ही रखवाया जावे एवं जोन स्तर से यह भी सूचित किया जावे कि यीद उनके द्वारा योजना संशोधित नहीं की जाती है तो योजना को निरस्त कर दिया जावे ।

4· मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भूमि का भू उपयोग इकोलोजिकल है । अत: नियमानुसार भू उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से आवासीय किया जावे ।

(2) मित्र गृ·नि·स· समिति की योजना अयोध्या नगर :- सी-3

उपायुक्त, जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1· समिति के सदस्यों द्वारा योजना का मौके पर निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही योजना के संबंध में कार्यवाही की जावेगी ।

2· मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भूमि का भू उपयोग इकोलोजिकल है । अत: नियमानुसार भू उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से आवासीय किया जावे ।

....2

(3) शिवशंकर गृ॰नि॰स॰ समिति की योजना श्रीराम वाटिका :- सी-3

उपायुक्त, जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1. समिति के पदाधिकारियों से योजना में दर्शायी गयी अधिक भूमि को हटाते हुए संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करवाया जावे ।
2. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भूमि का भू- उपयोग ग्रामीण है । अत: नियमानुसार भू उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किया जावे ।

(4) दी फोरेस्ट न्यू गृ॰नि॰स॰ समिति की योजना कृष्णा नगर :- सी-3

उपायुक्त, जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1. खसरो के अनुसार मिलान करने पर योजना मेल नहीं खाती है अत: जोन स्तर पर पुन: परीक्षण कर प्रस्तुत किया जावे ।

(5) लक्ष्मी गृ॰नि॰स॰ समिति की योजना परमानन्द नगर (स्कीम सं॰ 18) :-

उपायुक्त, जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये - बी-8

1. निवारू रोड़ से दक्षिण की ओर जाने वाली 100 फिट चौड़ी सैक्टर रोड़ को यथावत रखा जावे तथा सड़क में आने वाले क्षेत्र को भूखण्डों के क्षेत्रफल से कम किया जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे ।
2. योजना में प्रस्तावित वाणिज्यिक भूखण्ड एस-1 से एस-14 विवादित होने के कारण नियमित नहीं किये जाकर इस भू क्षेत्र को आरक्षित रखा जावे एवं अन्य वाणिज्यिक भूखण्ड एस-15 से एस-23 तक के भूखण्डों का नियमन आवासीय प्रयोजनार्थ ही किया जावे ।
3. योजना के मध्य में प्रस्तावित की गयी 40 फिट चौड़ी सड़क मौके पर 30 फिट ही उपलब्ध है जिसे 40 फिट चौड़ा ही रखा जावे ।
4. भूखण्ड सं0 50 से 56 तक को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे ।
5. समीपवर्ती योजना से इस योजना को लिंक किये जाने हेतु भूखण्ड

सं0 11 व 12 में 30 फिट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की जावे । साथ ही भूखण्ड सं0 23, 24 एवं 43, 44 के मध्य 30 फिट चौड़ी सड़क को भी स्थानान्तरित करते हुए प्रस्तावित लिंक रोड से जोड़ा जावे । तदानुसार ही योजना में संशोधन ////जोन स्तर पर कर लिया जावे ।

(6) श्री गणपति गृ॰नि॰स॰ समिति की योजना निर्मल विहार :-बी-8

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1. मुख्य बैनाड़ रोड़ से उत्तर दिशा से योजना को पश्चिम दिशा को ओर जाने वाली प्रस्तावित 30 फिट चौड़ी सड़क को 80 फिट चौड़ा कियाजावे तथा 80 फिट चौड़ी सड़क क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली व्यावसायिक दुकान सं0 1 से 88 को अनुमोदित नहीं किया जावे ।

2. 80 फिट चौड़ी सड़क से जोडने वाली मुख्य 30 फिट चौड़ी सड़क को 60 फिट चौड़ी किया जावे क्योंकि यह सड़क मुख्य बैनाड़ रोड़ सर्किल पर मिलती है ।

3. भूखण्ड सं0 306, 308 व 113 तथा 386 के मध्य की सड़क को 30 फिट के स्थान पर 40 फिट चौड़ी रखा जावे ।

4. भूखण्ड सं0 1 से 22 व 23 से 101 के मध्य प्रस्तावित 30 फिट चौड़ी सड़क को 40 फिट चौड़ी रखा जावे ।

5. भूखण्ड सं0 276 व 277 तथा 240 व 261 के मध्य स्थित 30 फिट चौड़ी सड़क को 40 फिट रखा जावे ।

6. भूखण्ड सं0 270 के दक्षिण की सड़क की चौड़ाई 30 फिट के स्थान पर 40 फिट चौड़ी रखा जावे ।

7. भूखण्ड सं0 89, 101 और 223 व 280 के मध्य की सड़क को 30 फिट के स्थान पर 40 फिट रखा जावे ।

8. भूखण्ड सं0 206, 198 व 179 तथा 219 के मध्य की सड़क को 30 फिट के स्थान पर 40 फिट चौड़ी सड़क रखी जावे ।

9. भूखण्ड सं0 23, 42, 137 ए तथा 139 के मध्य स्थित 30 फिट चौड़ी सड़क को 40 फिट चौड़ा रखा जावे ।

10. भूखण्ड सं0 177 से 182 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे तथा

.....4

भूखण्ड् सं0 116 से 119, 136, 136 ए, 137 और 137 ए तथा भूखण्ड् सं0 206 से 209 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे ।

11• आवासीय क्षेत्रफल 60% ही योजना में रखा जावे ।

§7§ मित्र गृ•नि•स• समिति की योजना लक्ष्मी नगर :- डी-3

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1• योजना की आन्तरिक सड़कों को 30 फिट चौड़ी रखा जावे ।

2• भूखण्ड् सं0 30 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे ।

3• मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भूमि का भू उपयोग व्यावसायिक है अत: नियमानुसार भू उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक से आवासीय किया जावे ।

§8§ हसनपुरा "ए" गृ•नि•स• समिति की योजना शंकर विहार :- डी-3

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1• योजना में 100 फिट चौड़ी सड़क पर दर्शायी गयी दुकानों को अनुमोदित नहीं किया जावे ।

2• योजना की आन्तरिक सड़कों को 30 फिट चौड़ा रखा जावे ।

3• मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार योजना का भू उपयोग ग्रामीण है अत: नियमानुसार भू उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किया जावे ।

§9§ हथरोई गढ़ी गृ•नि•स• समिति की योजना जगदीशपुरी :- डी-3

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1• योजना के सामने स्थित 100 फिट चौड़ी सड़क को यथावत रखते हुए भूखण्डों के प्रभावित होने वाले क्षेत्र को कम किया जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे ।

2• योजना के पश्चिम में जो 18 फिट चौड़ा रास्ता है उसे 30 फिट किया जावे ।

3• भूखण्ड् सं0 11, 12, 13 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे एवं

....5

भूखण्ड़ सं0 27 व 49 का मौका निरीक्षण जोन स्तर पर कर अवगत करवाया जावे कि इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र में रखा जावें या नहीं ।

§10§ विषय:- श्री सतवंत सिंह व श्रीमती रविन्दर कौर के स्वामित्व की खसरा नं0 2841 से 2844 ग्राम सांगानेर की 0•53 हैक्टेयर भूमि में से 2272•24 व•मी• भूमि विद्यालय व 500 व•मी• भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण बाबत ।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये - सी-1

1• मास्टर प्लान की 100 फिट चौड़ी सड़क में आने वाले क्षेत्र एवं उत्तरी ओर प्रश्नगत भूमि से लगती हुई सड़क को 40 फिट किये जाने के लिए आ रही भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि का नियमन संस्थानिक उपयोग हेतु किया जावे ।

2• प्रश्नगत भू क्षेत्र से गुजरने वाली एल•टी• लाईनों को निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने से पूर्व आवेदक को स्वयं के खर्चे से हटवायी जानी होगी । इस बाबत अण्डरटेकिंग ली जावे ।

§11§ विषय:- भूखण्ड़ सं0 7 जय अम्बे हा•को•सो• की योजना यूनिट नं• 3 को सुविधा क्षेत्र मुक्त करवाने बाबत ।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये - ए-1

1• भूखण्ड़धारी का प्रकरण पूर्व में भवन मानचित्र समिति की 8 वीं बैठक दिनांक 22-2-2002 में रखा गया था जिसमे निर्णय लिया गया था कि, " प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्य श्री अशोक तंवर एवं श्री राजेन्द्र मावर मौका निरीक्षण कर अपनी राय देंगे ।"

उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण कर लिया गया था ।

2• मौके पर भूखण्ड़धारी द्वारा भूखण्ड़ सं0 7 व 7 ए दो भागों में विभक्त किया हुआ है तथा दोनों ही हिस्सों में भवन निर्मित है तथा आवेदक द्वारा वर्ष 1974 से 1986 के मध्य में कन्वर्जन चार्जेज जमा करवा रखा है व वर्ष 1981 से बिजली का कनेक्शन भी ले

रखा है । अत: समिति के सदस्यों द्वारा यह राय व्यक्त की गयी की भूखण्ड् सं0 7 को जिसका क्षेत्रफल 850 व॰ग॰ है सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जावे । तदानुसार योजना मानचित्र में संशोधन करवा लिया जावे ।

§12§ विषय:- भूखण्ड् सं0 बी-20, सी-33 व बी-2 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत । §शंकर भवन गृ॰नि॰स॰ समिति की योजना पंचशील नगर§:-बी-1

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1· भूखण्ड्धारी का प्रकरण पूर्व में भवन मानचित्र समिति की 8वीं बैठक दिनांक 22-2-2002 में रखा गया था जिसमे निर्णय लिया गया था कि, " प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्य श्री अशोक तंवर एवं श्री राजेन्द्र मावर मौका निरीक्षण कर अपनी राय देंगे ।"

उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण कर लिया गया था ।

2· भूखण्ड् सं0 बी-20, बी-2 व सी-33 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श कर समिति द्वारा यह राय दी गयी कि चूंकि सी-33 के भूखण्ड्धारी नियमन कैम्प के दौरान उनके पिता के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से जयपुर से बाहर इलाज करवाने के कारण नियमन राशि समय पर जमा नहीं करवा सके थे । अत: भूखण्ड् सं0 सी-33 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर दिया जावे । शेष भूखण्ड् सं0 बी-20 व बी-2 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत ही रखा जावे ।

§13§ विषय:- गोम्स डिफेन्स कालोनी§ माधव गृह व नानकपुरी गृ॰ नि॰स॰ समिति§ के सुविधा क्षेत्र में से सड़क निकलवाने बाबत ।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये - बी-6

1· भूखण्ड्धारी का प्रकरण पूर्व में भवन मानचित्र समिति की 8वीं बैठक दिनांक 22-2-2002 में रखा गया था जिसमे निर्णय लिया गया था कि, "प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर

....7

निर्णय लिया गया कि समिति के सदस्य श्री अशोक तंवर एवं श्री राजेन्द्र मावर मौका निरीक्षण कर अपनी राय देंगे ।"

उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण कर लिया गया था ।

2. समिति द्वारा मौके की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भूखण्ड सं0 156 व भूखण्ड सं0 233 के मध्य स्थित 30 फिट चौड़ी सड़क को माधव गृह एवं नानकपुरी गृ॰नि॰स॰ समिति की गोम्स डिफेन्स योजना के सुविधा क्षेत्र में से 80 फिट चौड़े वैशाली मार्ग से लिंक किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी ।

(14) विषय:- ग्राम सोडावाला तह॰ जयपुर के खसरा नंबर 320, 321, 322 ग्राम सुशीलपुरा के खसरा नंबर 313 मि॰ व ग्राम बृजलालपुरा के खसरा नंबर 47, 81/137 की भूमि का आवासीय रूपान्तरण करने के क्रम में ।

बी-1

आवेदक का प्रकरण भवन मानचित्र समिति की चौथी बैठक दिनांक 11-1-02 को बैठक में रखा जाकर निर्णय लिया गया था कि ,

"प्रकरण में पूर्व में प्रोजेक्ट एवं वर्क्स कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 29-11-2001 में योजना का अनुमोदन 2 शर्तों/संशोधनों के साथ किया गया था । समिति ने विचार-विमर्श कर पूर्व निर्णय पर सहमति दर्शायी ।

शर्त सं0 2 के अनुसार "नाले की प्रस्तावित चौड़ाई (150 फुट) में आ रही भूमि जनपथ रोड़ की चौड़ाई में आ रही 33 फुट चौड़ी भू-पट्टी एवं खसरा नं0 322 की राजकीय भूमि को योजना से कम करते हुए शेष भूमि के आवासीय रूपान्तरण की योजना का अनुमोदन किया ।" नाले की चौड़ाई के संदर्भ में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नाले का केन्द्र बिन्दु निश्चित करने हेतु निदेशक(अभियांत्रिकी) की राय ली जावे तथा नाले की प्रस्तावित चौड़ाई (150 फुट) में आ रही भूमि जनपथ रोड़ की चौड़ाई में आ रही 33 फिट चौड़ी भू-पट्टी को प्रार्थी से निशुल्क समर्पित करवाई जाये । साईट प्लान के अनुसार खसरा नं0 322 की राजकीय भूमि आवेदक की भूमि के बीच में आ रही है जिसके लिए कोई स्वतन्त्र एप्रोच उपलब्ध नहीं है । अतः इस राजकीय भूमि को नियमानुसार राशि लेकर नियमित कर दिया जाये ।"

नाले की चौड़ाई के संदर्भ में उपरोक्त निर्णय अनुसार नाले का केन्द्र बिन्दु निश्चित करने हेतु निदेशक(अभियांत्रिकी) से राय लेने की अनुशंषा की गयी थी जिसके अनुसरण में पत्रावली निदेशक (अभियांत्रिकी) को

प्रेषित की गयी लेकिन उनके द्वारा नाले के केन्द्र बिन्दु के संबंध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी गयी है । अतः समिति द्वारा पूर्व में प्रोजेक्ट एवं वर्क्स कमेटी की बैठक दिनांक 29-11-2001 में नाले की चौड़ाई के संबंध में लिये गये निर्णय का पुनः अवलोकन किया गया तथा संबंधित प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 11-1-2002 में सम्पन्न हुई भवन मानचित्र समिति के निर्णय को यथावत रखते हुए प्रकरण में नियमन की कार्यवाही की जावे । साथ ही प्रार्थी द्वारा नाले की ओर रिटेनिंगवाल अपने स्वयं के खर्चे से ज॰वि॰प्रा॰ के अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार बनायी जावेगी ।

(15) विषय:- दुर्गा विहार योजना के संबंध में (जोन बी-1) :-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1. योजना में पूर्व में अनुमोदित की गयी 80 फिट चौड़ी सड़क को मौके की स्थिति एवं वाहनों को आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सड़क की चौड़ाई 80 फिट रखने का निर्णय लिया गया । पूर्व में दुर्गा विहार योजना के सामने स्थित योजना में 60 फिट चौड़ी इस सड़क को 60 फिट चौड़ी सैक्टर रोड़ मानते हुए तकनीकी रूप से अनुमोदित की गयी थी अतः उस योजना में भी इस सड़क को संशोधित करते हुए 80 फिट किया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..7......बैठक दिनांक 15.3.02...का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हथरोई गढ़ी गृ0नि0स0स0लि0
2. योजना का नाम : बसन्त विहार विस्तार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : मानपुरा देवरी ख०न० 38, 39, 49 मीन एवं 39/158, 49/262
4. सैक्टर नंबर : B-4

जोनल लेबल(जोन संख्या....डी......) कमेटी की बैठक दिनांक 15.3.02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. गोपालपुरा बाईपास की निर्धारित चौड़ाई 160'-0" है तथा भूखण्ड संख्या 191 से 202 के भूखण्डों में से 20'-0" से 29'-0" तक काटने के पश्चात तथा उक्त भूखण्डों में अधिकांश भूखण्डों पर वाणिज्यिक उपयोग में होने के कारण अनुमोदन योग्य नहीं है ।

2. भूखण्ड संख्या 155 व 161 के सामने जो योजना में छोटे भूखण्ड एवं दुकाने होने के कारण एवं रोड जक्शन होने के कारण उक्त भाग को अनुमोदित नहीं किया जाकर सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित लिया जाने का निर्णय लिया जाता है ।

3. योजना के आन्तरिक सभी सड़के 30'-0" चौड़ी रखी जावेगी तथा उपरोक्त गैर अनुमोदित भूखण्डों के अतिरिक्त सभी भूखण्डों को अनुमोदित किया जाता है ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..7......बैठक दिनांक 15.3.02...का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : नेशनल हा.को.सो.लि0

2. योजना का नाम : सुन्दर नगर

3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :

4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...ए-3......) कमेटी की बैठक दिनांक.15.3.02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

योजना का पूर्व में अनुमोदन बीपीसी (ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 26.2.02 व 27.2.02 में हुआ था जिसमें भूखण्ड संख्या 82,81 तथा 53 सड़क से प्रभावित दर्शाये गए थे। बाद में विचार-विमर्श पश्चात् बैठक में जोन उपायुक्त द्वारा स्पष्ट मौके की स्थिति करने पर यह निर्णय लिया गया है कि इस सड़क को निरस्त किया जाए तथा भूखण्ड संख्या 32बी, 32सी तथा 85 को आवंटन पत्र अनुसार भूमि देते हुए शेष भूमि को रिक्त भूमि दर्शाया जाए।

[signature]

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...7.....बैठक दिनांक 15.3.02..का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : जल महल हाउसिंग को.ओ.सो.लि.
2. योजना का नाम : दुर्गा विहार कॉलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...बी-4...) कमेटी की बैठक दिनांक..15.3.02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

बीपीसी (ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 2.2.02 में उक्त योजना का अनुमोदन करते हुए योजना में भूखण्ड संख्या 15;16, 17,18 व 1,2ए,3 तथा 4 के मध्य 24 फीट चौड़ाई का एक आरक्षित क्षेत्र रखा गया था । मौके पर इस में सड़क बनी होने के कारण इस आरक्षित क्षेत्र को इस योजना में सड़क ही रखा जानें का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...7.....बैठक दिनांक 15.3.02...का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शिव शक्ति गृह नि० स० स०
2. योजना का नाम : जैम विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...बी-4....) कमेटी की बैठक दिनांक 15.3.02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उक्त योजना का अनुमोदन पूर्व में बीपीसी (ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 2.3.02 में किया गया था तथा इस बैठक में योजना में बने हुए भूखण्ड 10 प्रतिशत से कम होने के कारण योजना को राज्य सरकार को भिजवाए जाने हेतु बैठक में निर्णय लिया गया था । परन्तु जोन उपायुक्त बी-4 द्वारा इस बैठक में यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर कि योजना में 10 प्रतिशत से अधिक बने हुए मकान है, के कारण यह योजना राज्य सरकार नहीं भिजवायें जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 15.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन ए-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गयेः-

1. शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना जमना नगर विस्तार के अनुमोदन के संबंध में
2. जय चामुण्डा गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 2 'पृथ्वीनगर' के अनुमोदन के संबंध में।
3. देविका नगर, बस्सी सीतारामपुरा के अनुमोदन के संबंध में।
4. लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना लक्ष्मी नगर के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना जमना नगर विस्तार के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

    1. योजना में प्रस्तावित सभी आंतरिक सडकों की चौडाई 20 एवं 25 फिट हैं अतः नियमानुसार 30 फिट की गयी।
    2. योजना का क्षेत्रफल 41.5 वर्गगज कये किये गये क्षेत्रफल से अधिक हैं। अतः नियमानुसार दर ली जावें।
    3. विघाधर नगर के मास्टर स्कीम प्लान में उक्त योजना ग्रुप हाउसिंग हेतू आरक्षित भूखण्ड के अंतर्गत आती हैं। अतः योजना प्लान में संशोधन अनुमोदन हेतू पीआरसी में प्रस्तुत किया जावें।
    4. पूर्ण योजना दो बीघा से अधिक अवाप्तशुदा भूमि पर बसी हुई है अतः कार्यालय आदेश दिनांक 25.2.2002 की अनुपालना में राज्य सरकार के अनुमोदन हेतू भेजी जावें।

6. भूखण्ड संख्या 1 से 6, 34 से 41 में गैर आवासीय औद्योगिक गतिविधियां चल रहीं हैं। इन गतिविधियों को हटाये जाने के पश्चात ही आवासीय भूखण्डों के नियमन पर विचार किया जावें।

वरिष्ठ नगर. नियोजक
मास्टर प्लान, जविप्रा।

प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया :-

1. योजना का उत्तरी भाग RIICO क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण नियमन योग्य नहीं है।
2. योजना में हाइवे कंट्रोल बैल्ट की चौडाई एवं गोनेर रोड के मार्गाधिकर से प्रभावित भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावें।
3. भूखण्ड संख्या 31 से 42, 42 ए, 43, 44, 45 का नियमन किया जावें।
4. गोनेर रोड का मार्गाधिकार छोडने के पश्चात भूखण्ड संख्या 21 से 29 के शेष बची हुई भूमि पर समिति उपयुक्त संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं जिस पर पुनः विचार किया जावे।
5. योजना का भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रमीण क्षेत्र से आवासीय में किया जावे।

3. इन्दिरा विकास गृ.नि.स.स. की योजना मालपानी विहार, रघुनाथ पुरा उर्फ रातल्या खसरा नम्बर 78, 79 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 11.3.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया :-

1. योजना का 60:40 के अनुपात में अनुमोदन किया जावें।
2. मास्टर विकास योजना 2011 के भू उपयोग मानचित्र में बालावाला जाने वाली सडक की चौडाई 160 फिट हैं। अतः योजना के पश्चिम में स्थित सडक जो Existing Road हैं, (वह 160 फिट प्रस्तावित नहीं हैं) की चौडाई 100 फिट ही रखी जावें।
3. डिग्गी मालपुरा रोड से सांगानेर को जाने वाली सडक पर दुकानों का नियमन नहीं किया जावें।
4. योजना का भू उपयोग परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय नियमानुसार किया जावें।
5. योजना की 30 फिट Approach Road पर स्थित दुकान संख्या 46 से 57 का 10 फिट पार्किंग छोडने के पश्चात नियमन किया जावें।

3. 19/20 भूखण्ड के पूर्व में 10 फिट की लेन की मौके के अनुसार कोई आवश्यकता नहीं हैं अतः इसे मौके के अनुसार नियमित किया जावें।
4. पूर्ण योजना दो बीघा से अधिक अवाप्तशुदा भूमि पर बसी हुई हैं अतः कार्यालय आदेश दिनांक 25.2.2002 की अनुपालना में राज्य सरकार के अनुमोदन हेतू भेजी जावें।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 15.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-1 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गयेः-

1. विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना मानसागर विस्तार, भावलीपुरा खसरा नम्बर 111 के अनुमोंदन के संबंध में।
2. शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना लोक मान्य नगर के अनुमोदन के संबंध में।
3. इन्दिरा विकास गृ.नि.स.स. की योजना मालपानी विहार, रघुनाथ पुरा उर्फ रातल्या खसरा नम्बर 78, 79 के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना मानसागर विस्तार, भावलीपुरा खसरा नम्बर 111 के अनुमोंदन के संबंध में जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 11.3.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर यह निर्णय लिया गया है कीः-

   योजना के लगभग 43 भूखण्ड हाइवे कंट्रोल बैल्ट रेग्युलेशन के अनुसार राष्ट्रीय राज मार्ग के मध्य बिन्दु से 75 मीटर दूरी से एवं 11 के.वी. हाई टेंशन लाईन के दोनो ओर 25 फिट सुरक्षित दूरी से प्रभावित होते है अतः समिति को इन सभी भूखण्डधारियों के भूखण्डों को समायोजित करते हुए संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने का मौका दिया जावें।

2. शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना लोकमान्य नगर के अनुमोदन के संबंध में- जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 11.3.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता

2. जय चामुण्डा गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 2 'पृथ्वीनगर' के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में निम्न निर्णय लिया गया कि

1. योजना विघाधर नगर की 180 फिट चौडी दो रोड एवं चौपड से प्रभावित है। योजना मौके पर बसी हुई हैं अत: मौके के अनुसार दोनो सडाकों एवं चौपड का एलाइन्मेंट बदलाना हो तो प्रस्ताव सहित संबंधति जोनल अभियंता बीपीसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।

3. देविका नगर, बस्सी सीतारामपुरा के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोंधनों के साथ अनुमोदित किया गया:-

1. योजना की सभी आंतरिक सडाकों की चौडाई 30 फिट एवं प्लाट नम्बर 1-ए से बी-21 के पूर्व की ओर जाने वाली सडक 40 फिट अनुमोदित की गई।

4. लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना लक्ष्मी नगर के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया:-

1. योजना की सभी आंतरिक सडकों की चौडाई 30 फिट की जावें।
2. योजना का क्षेत्रफल कय क्षेत्रफल से 605 वर्ग गज अधिक हैं अत: नियमानुसार दर ली जावें।

Khandelwal Nagar 'C' C-2

4- योजना के भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..7वी..बैठक दिनांक 15-3-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : अपोलो नगर गृ0नि0स0स0एवं बुंदाबादीसोनाथ
2. योजना का नाम : सन्तोष नगर योजना एवं पदमावती कॉलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-5....) कमेटी की बैठक दिनांक............में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

बैठक में विचार-विमर्श पश्चात 160 फीट सड़क का एलाइनमेन्ट एमडीआर-2011 के अनुसार ही यथावत सीधा ही रखा जाए इस सड़क को एलाईनमेन्ट को घुमाने का कोई औचित्य नहीं है ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...7.....बैठक दिनांक 15.3.02 का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	माधव गृह नि० स० स०
2.	योजना का नाम	:	हिम्मत नगर
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं०	:	मानपुर देवरी ख॰न॰ 116/1,व 116/2
4.	सैक्टर नंबर	:	

जोनल लेबल(जोन संख्या....ए-1.....) कमेटी की बैठक दिनांक 15.3.02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

पूर्व में बीपीसी (ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 5.3.02 में अनुमोदित योजना मानचित्र में 160 फीट की सड़क को योजना क्षेत्रफल में सम्मिलित करते हुए योजना का एरिया एनालिसिस किया था। परन्तु अब उक्त 160 फीट सड़क जो कि पी॰डब्ल्यू॰डी द्वारा अवाप्तशुदा है को योजना के क्षेत्रफल से बाहर करते हुए योजना का अनुमोदन किया गया था जिससे योजना का आवासीय क्षेत्रफल 74.39% हो गया है।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...7....बैठक दिनांक 15.3.02...का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हरदोई गढ़ी गृ0 नि0स0स0
2. योजना का नाम : खण्डेलवाल नगर "सी"
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : पालड़ी मीणा ख.न.274 से 278
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-2...) कमेटी की बैठक दिनांक 15.3.02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1- भूखण्ड संख्या 1 व 51 के पूर्व की ओर आगरा रोड़ से मिलाने वाली 30 फीट चौड़ी सड़क को 60 फीट किया जाना प्रस्तावित है । अतः इस सड़क से लगते हुए भूखण्डों में से 15 फीट कम किया जाना प्रस्तावित है । आच्छादित क्षेत्र नहीं मिलने के कारण भूखण्ड संख्या 51 को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है ।

2- भूखण्ड संख्या 1 व 19 एवं 18 व 76 के मध्य की 30 फीट सड़क को 40 फीट किया जाना प्रस्तावित है । भूखण्ड संख्या 31 व 32 के मध्य की सड़क, भूखण्ड संख्या 49 व 51 के मध्य की सड़क भूखण्ड संख्या 24 व 66 के भूखण्ड संख्या 67 व 74 के मध्य की सड़को को 30 फीट के स्थान पर 40 फीट किया जाना प्रस्तावित है । भूखण्ड संख्या 60 के उत्तर में 10 फीट की गली के स्थान पर 15 फीट गली मन्दिर से लगती हुई पश्चिम दिशा में 40 फिट चौड़ी सड़क से मिलाया जाना प्रस्तावित है । अतः भूखण्ड संख्या 60 को 5 फीट कम किया जाना प्रस्तावित है ।

3- भूखण्ड संख्या 89 व 90 के मध्य की 25 फीट चौड़ी सड़क को 30 फीट किया जाना प्रस्तावित है ।

.... 2 ....